भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **1612**

जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024/19 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी उर्वरकों की कमी

1612. श्री एस.निरंजन रेड्डी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024-25 में रबी फसल की आवश्यकता की तुलना में देश में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरकों की उपलब्धता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) डीएपी की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डीएपी के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): रबी मौसम 2024-25 (01.10.2024 से 05.12.2024 तक) के लिए देश (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार) में डीएपी की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक का विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(ख): उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाया गया है। उर्वरकों की कालाबाजारी/अधिक मूल्य वसूली के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त किसी भी शिकायत को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है।

(ग): फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों (पीएण्डके) के मामले में, कंपनियां अपने कारोबार के उतार चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों के कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादों और तैयार उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन को बढ़ावा देने और उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को स्वीकृति दी गई है/अभिलेखित किया गया है।

****

यह अनुलग्नक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं.1612 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

अनुलग्नक

रबी 2024-25 के लिए 01/10/2024 से 05/12/2024 तक डीएपी की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक

आंकडे एलएमटी में

क्रम.सं.	राज्य	01/10/2024 से 05/12/2024 तक यथानुपतिक आवश्यकता	01/10/2024 से 05/12/2024 तक उपलब्धता	01/10/2024 से 05/12/2024 तक संचयी डीबीटी बिक्री	05/12/2024 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.85	1.57	1.03	0.54
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.12	0.26	0.16	0.10
5	बिहार	1.86	2.54	1.77	0.77
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	0.47	0.49	0.20	0.29
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.03	0.02	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	1.85	2.25	1.88	0.37
13	हरियाणा	2.28	2.47	2.30	0.17
14	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.02	0.01	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	0.07	0.22	0.09	0.13
16	झारखंड	0.17	0.32	0.17	0.16
17	कर्नाटक	0.72	1.15	0.67	0.47
18	केरल	0.02	0.08	0.06	0.02
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	5.95	5.29	4.17	1.12
21	महाराष्ट्र	0.85	1.83	1.03	0.80
22	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	0.14	0.40	0.16	0.24
27	पुदुचेरी	0.00	0.01	0.01	0.00
28	पंजाब	4.27	3.50	3.06	0.44
29	राजस्थान	2.81	3.04	2.69	0.36
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	0.69	1.10	0.72	0.38
32	तेलंगाना	0.66	0.81	0.46	0.35
33	त्रिपुरा	0.00	0.02	0.00	0.02
34	उत्तराखंड	0.11	0.26	0.17	0.09
35	उत्तर प्रदेश	11.36	10.29	8.69	1.60
36	पश्चिम बंगाल	0.73	1.12	0.70	0.42
संपूर्ण भारत		**35.98**	**39.07**	**30.22**	**8.85**

स्रोत: Ifms डेशबोर्ड

****